ए/42, हाउसिंग

लोक–सुनवाई का वृत

मेसर्स ए.के. सिंह एंड कंपनी, प्रो0–श्री अनिरूद्ध कुमार सिंह, एमआईजी ए/42, हाउसिंग कॉलोनी, धनबाद, झारखण्ड द्वारा सहरसा तिलावे नदी यूनिट–02 बालू घाट (कपसिया रेत घाट ब्लॉक–04 और बिशनपुर रेत घाट ब्लॉक–05) द्वारा ग्राम–कांप और बिशनपुर, जिला–सहरसा के अन्तर्गत परियोजना से संबंधित पर्यावरणीय स्वीकृति के वास्ते पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार के अधिसूचना सं0–एस.ओ.1533, दिनांक 14 सितम्बर, 2006 के तहत् दिनांक 28.08.2023 को पूर्वाह्न 11:00 बजे सहरसा जिला के अंचल कार्यालय, पतरघट, जिला–सहरसा में लोक–सुनवाई की गयी।

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार अधिसूचना सं0–एस.ओ. 1533, दिनांक 14 सिम्बर 2006 एवं यथा संशोधित के तहत् राज्य स्तरीय पर्यावरणीय समाघात निर्धारण प्राधिकरण, बिहार के द्वारा निर्गत TOR File.No.SIA/1(a)/2279/2023, के आलोक में श्री संजय कुमार निराला, उप विकास आयुक्त, सहरसा (जिला पदाधिकारी, सहरसा के प्रतिनिधि) की अध्यक्षता में बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद, द्वारा दिनांक 28.08.2023 को पूर्वाह्न 11:00 बजे अंचल कार्यालय, पतरघट, जिला–सहरसा में लोक–सुनवाई आयोजित की गयी। उपस्थिति पंजी संलग्न (**अनुलग्नक–1**)

इस लोक–सुनवाई की सूचना बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद् द्वारा दैनिक समाचार पत्रों यथा प्रभात खबर एवं दैनिक जागरण के माध्यम से दिनांक 27.08.2023 को प्रकाशित की गयी थी (**प्रतिलिपि संलग्न**)। लोक–सुनवाई के दौरान श्री सैन कुमार, क्षेत्रीय पदाधिकारी, बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद्, पूर्णियाँ द्वारा लोक–सुनवाई में उपस्थित जन–समुदाय एवं सभी संबंधित पदाधिकारियों का स्वागत करते हुए पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्त्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अधिसूचित पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना सं0–एस.ओ.1533, दिनांक 14 सितम्बर 2006 एवं यथा संषोधित के तहत् इकाई के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोक–सुनवाई की पृष्ठ–भूमि पर प्रकाश डाला गया। लोकहित में कार्य योजना से संबंधित सुनवाई के उद्देष्य से उपस्थित लोगों को अवगत कराया गया। साथ ही स्थानीय लोगों से पर्यावरण संरक्षण एवं लोकहित के संबंध में सुझाव/विचार/मंतव्य माँगा गया।

लोक–सुनवाई कार्यक्रम के अध्यक्ष के अनुमति से परियोजना के पर्यावरणीय सलाहकार श्री राजेश कुमार विश्वास ने इकाई की खनन कार्य परियोजना, प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था एवं कॉरपोरेट पर्यावरण जिम्मेदारी (Corporate Environmental Responsibility) आदि के संबंध में आमजनों को विस्तृत रूप से अवगत कराया। इनके द्वारा सूचित किया गया कि खनन कार्य के उपरान्त परिवहन के दौरान उत्सर्जित होने वाले धूल–कण की रोक–थाम हेतु सड़को पर नियमति रूप से जल छिड़काव किया जायेगा। वाहनों पर ओवरलोडिंग नही की जायेगी। वाहनों को तिरपाल से ढ़क कर ले जाया जायेगा। खनन कार्य सतह से 1 मीटर की गहराई तक या भू–जल स्तर से ऊपर तक किया जायेगा। ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने हेतु ध्वनि यंत्र (हार्न) का न्यूनतम उपयोग किया जायेगा। पुराने एवं खराब वाहनों का इस्तेमाल नहीं किया जायेगा। सड़क के किनारे एवं खनन पट्टा क्षेत्र में वृक्षारोपण (77 नं0) का कार्य किया जायेगा। बालू खनन के दौरान पर्यावरण,

एवं Enforcement & Monitoring Guidelines for Sand Mining-2020 (EMGSM-2020) के प्रावधानों का अनुपालन किया जायेगा।

परियोजना प्रस्तुतिकरण के पष्चात् उपस्थित महानुभावों द्वारा दिए गए सुझाव/मंतव्य निम्नवत हैः–

कमांक	नाम एवं पता	प्रतिक्रिया/सुझाव
1.	श्री सोनू यादव, पिता–श्री रामजनम यादव, ग्राम–बिशुनपुरा, जिला–सहरसा।	इनके द्वारा सुझाव दिया गया कि बालू खनन परियोजना के दौरान होने वाले प्रदूषण के रोकथाम के लिए नियमित रूप से जल का छिड़काव एवं सड़क के किनारे वृक्षारोपण कियाजाय। पर्यावरणीय सलाहकार द्वारा बताया गया कि इस परियोजना के तहत् नियमित रू‍ से जल का छिड़काव किया जायेगा तथा इस परियोजनामें 78 पेड़ लगाये जायेंगे एवं उनका रख–रखाव संवेदक द्वारा किया जायेगा।
2.	श्री दिपक कुमार यादव, पिता–स्व0 सदानंद यादव, ग्राम–जमरा, जिला–सहरसा।	इनके द्वारा पूछा गया कि जो लोग अपने रैयती जमीन पर वृक्षारोपण करना चाहेंगे, तो क्या करेंगे। पर्यावरणीय सलाहकार द्वारा बताया गया कि खनन परियोजना शुरू होते ही लगभग 78 पेड़ लगाये जायेंगे। इन पेड़ो की सुरझा एवं रख–रखाव परियोजना संचालक द्वारा किये जायेंगे। पेड़ हॉल रोड, गाँव के आस–पास इत्यादि जगह पर लगाये जायेंगे। पेड़ के रख–रखाव हेतु स्थानीय लोगों को ही माली के रू‍ में रखा जायेगा एवं जो व्यक्ति अपने रैयती जमीन में पेड़ लगाना चाहेंगे। उनको संवेदक द्वारा पौधा उपलब्ध कराया जायेगा

खनिज विकास पदाधिकारी, सहरसा द्वारा बताया गया कि खनन प्रभावित क्षेत्र के लिए जिला खनिज फाउंडेशन में संचित राशि से इस क्षेत्र में शिक्षा, स्वास्थ्य, पेय–जल इत्यादि पर खर्च करने का प्रावधान है। खनन परियोजना के कुल लागत का 2% राशि इसमें संचित होता है। प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना के तहत् खनन प्रभावित क्षेत्र का विकास किया जाता है। इस क्षेत्र के प्रभावित आमजनता भी अपना मांग रख सकती है, इस राशि से उसको पूरा करने का अनुशंसा किया जायेगा।

अध्यक्ष द्वारा बताया गया कि बालू का उपयोग निर्माण कार्य में किया जाता है एवं राज्य का विकास होता है। विकास के साथ पर्यावरण पर भी ध्यान देना आवश्यक है।

अध्यक्ष द्वारा बताया गया कि वाहनों से बालू ले जाने के क्रम में नियमित रूप से परिवहन मार्ग पर जल छिड़काव करेगें एवं बालू से लदे वाहनों को तिरपाल से ढ़क कर ही ले जायेगें। उन्होने उम्मीद जताया कि इकाई प्रबंधन द्वारा इन उपरोक्त बिन्दुओं पर गम्भीरता से ध्यान रखा जायेगा। साथ ही वैज्ञानिक तरीके से बालू खनन का कार्य एवं विभागीय निर्देश का अनुपालन किया जायेगा।

पौधों का रख–रखाव स्थानीय ग्रामीण के द्वारा ही सुनिश्चित कराया जाय।

उनके द्वारा बताया गया कि अगर काम प्रारंभ होगा तो सरकार को राजस्व की प्राप्ति होगी। स्थानीय लोगों को रोजगार प्राप्त होगा। गाँव की अर्थ–व्यवस्था में एवं प्रभावित क्षेत्र का विकास में तेजी आयेगी।

जन–सुनवाई के अंत में उपस्थित जनता के सुझाव को संग्रहित करते हुए सक्षम प्राधिकार को अग्रसारित करने का निर्णय लिया गया। तत्पश्चात् लोक सुनवाई सधन्यवाद समाप्त करने की घोषणा की गयी।

क्षेत्रीय पदाधिकारी, पूर्णियाँ
बि.रा.प्र.नि.पर्षद्

उप विकास आयुक्त,
सहरसा

उपस्थिति सूची

मेसर्स ए. के. सिंह एंड कंपनी, एम.आई.जी.-ए 42, हाउसिंग कॉलोनी, धानबाद-826001 (झारखण्ड) द्वारा सहरसा तिलावे नदी के यूनिट-02 (कपसिया बालू घाट ब्लॉक-04, बिशुनपुर बालू घाट ब्लॉक-05 (क्षेत्रफल-7.77 हेक्टेयर), मौजा-कांप और बिशनपुर, अंचल-पतरघट, जिला-सहरसा के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु दिनांक 28.08.2023 को पूर्वाह्न 11:00 बजे अंचल कार्यालय, पतरघट, जिला-सहरसा में आयोजित लोक-सुनवाई के दौरान उपस्थित महानुभावों की सूची:

क्र०सं०	नाम	पता	हस्ताक्षर
1.	Sanjay Kumar Nirala	DDC, Saharsa	[signature]
2.	Anand Prakash	MDO, Saharsa	[signature] 28/08/2023
3.	Saim Kumar, R.O.	Bihar State Pollution Control Board, Purnia	[signature] 28/8/23
4.	Digvijay Singh ASO	Bihar State Pollution Control Board, Purnia	[signature] 28/08/2023
5.	Ghalib Khan	Bishanpur	[signature]
6.	Sonu Yadav	Bishanpur	[signature]
7.	[illegible]	kap	[signature]
8.	[illegible]	Bishanpur	[signature]
9.	सुरेश राम पं० स०	[illegible]	[signature]

10.	रुपेश कुमार	सहरसा	रुपेश कुमार
11.	दीपक कुमार यादव		
12.	राजेश साह	मरनमा	राजेश साह
13.	मो अनसार	पतरघट	अनसार
14.	सुशील कुमार	पतरघट	सुशील कुमार
15.	Bipin Kumar	Saharsa	Bipin Kumar
16.	Bhupendra Singh	Bishanpur	Bhupendra Singh
17.	रामानंद राम	काप	रामानंद राम
18.	Vibha kumari	मरनमा	राजेश साह
19.	[illegible]	[illegible]	
20.	Niku Kumari	काप	Niku Kumari
21.	Rajesh Kumar vishwas	Environment Consultant P & M solution (Noida UP.)	Rajesh
22.			
23.			
24.			